



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines
Mine Code: 38RAJ21003

पंजीकृत पावती
कारण बताओ नोटिस
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura Industrial Area,
अजमेर – 305002 (राजस्थान)
Ajmer- 305002 (Rajasthan)

संख्या: E/3741/MCDR-MIFLOLST/03/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक :

प्रेषित: एजेंट, निम्बेती चूनापत्थर खान,

मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड,

पोस्ट बॉक्स न. 33, बांगड नगर, जिला-ब्यावर 305901

(e-mail: pankaj.agarwal@shreecement.com, tarun.dhelawat@shreecement.com)

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Nimbeti Limestone Mine** (Lease area 750.0Hect.) situated in Beawar District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 13.11.2024 by the undersigned in presence of Shri T.K. Dhelawat, Mines Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
45(7)	In annual return 2023-24 following discrepancies were observed: <ol style="list-style-type: none"> Undet item 12 of Part-I, under head lease area utilization at the end of year 2023-24 <ol style="list-style-type: none"> The area occupied by plant, buildings, residential, roads etc has been shown 11.0 hect whereas in the approved review of mining plan the area under these heads have been shown 31.2 hect. Mineral Stoarge area has not been shown. The work done under PMCP during the reporting year is not correct. Under item 1 of Part-II-A, the value of land has not been taken as zero whereas as per submitted draft review of mining plan, total 168.8 hect. land has been acquired. Under item 1(Exploration) of Part-V, the figures of expenditure on exploration at the beginning of the year & cumulative has not been given. Under item 5 (Trees Planted- survival rate) of Part-V, total nos. of trees at the end of year within lease area are not matching with details given in PMCP excel sheet uploaded with annual return.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं अथवा आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास(संशोधन) नियमावली, 2021 की अनुसूची-2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तिथि से से 30 (तीस) दिनों के भीतर कारण बताए कि उपरोक्त उल्लंघन के लिए पैरा 02 एवं पैरा 03 में वर्णित कार्यवाही क्यों न की जाए।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

भवदीय,

(डी.आर. गुर्जर)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित : -

- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)।
- निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सोजत सिटी, जिला- पाली।
- रक्षित पत्रावली।